प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, सवाई माधोपुर..........थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022........................
   प्र. इ. रि. स. ....333/2022........ दिनांक ....29/8/2022..............
2. (अ) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ..धारायें..... 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
   (ब) अधिनियम ....धारायें..
   (स) अधिनियम ....धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......531......समय.........6:05 pm
   (ब) अपराध घटने का दिन–शुकवार दिनांक 25.03.2022 समय..........
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 25.03.2022 समय. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर लगभग 105 किलोमीटर ....
   (ब) पता – राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय मानटाउन सवाई माधोपुर
   बीट सख्या ....जरायमदेहीसं...........
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ..... पुलिस थाना....जिला..........
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री सुरेश चन्द शर्मा
   (ब) पिता /पति का नाम श्री ब्रजमोहन लाल शर्मा..
   (स) जन्म तिथि /वर्ष 60 वर्ष ....
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..........................
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय..
   (ल) पता... हाल वरिष्ठ अध्यापक रा0वा0उ0मा.विद्यालय कुण्डेरा, जिला सवाई माधोपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :– पवन कुमार शर्मा, प्लेसमेंट सेवा, (सर्न्दभ व्यक्ति,सीडब्लूएसएन) राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय बामनवास खुर्द जिला सवाई माधोपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही............
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   1,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..... ....1,000/–रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल शर्मा, उम्र 60 वर्ष, जाति ब्राहम्मण, निवासी कुण्डेरा हाल रा0वा0उ0मा.विधालय कुण्डेरा, जिला सवाई माधोपुर ने दिनांक 25.03.2022 को ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो उसके द्वारा रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना बताते हुये, बताया कि मै रा0बा0उ0मा0विद्यालय कुण्डेरा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पूर्व मैं बामनवास ब्लाक शिक्षा विभाग मैं अध्यापक पर कार्यरत था। उस समय मेरे वेतन से जीपीएफ, एस.आई. की कटौती हुई थी, उसका सत्यापन हेतु जीपीएफ, एस.आई. पास बुक मैं कटौती का इन्द्राज करके मैने दिनांक 03.03.2022 को बामनवास कार्यालय में हस्ताक्षर व मोहर लगवाने गया तो बाबू ने 1500/– रूपये की मांग कर रहा था। उसने आज 22 दिन के करीब हो गये है। मैं बाबू पवन शर्मा वरिष्ठ सहायक को रिश्वत देने नही चाहता, उसको पकडवाना चाहता हूँ। मेंरी उनसे कोई पुराना लेन–देन व रंजिश नही है। रिपोर्ट कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में पेश है। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों

एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाने पर उसी दिन समय 01.00 पीएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में विभागीय सरकारी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को निकलवाकर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा को समझाकर रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री जुगलाल कानि0 नं0 459 को सुपुर्द कर हिदायत दी कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व चालू कर उसे सुपुर्द करे तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। परिवादी ने बताया कि पवन शर्मा बाबू अभी सवाई माधोपुर आया हुआ है और उसने मेरे से कलेक्ट्री सवाई माधोपुर के आस–पास मिलने की कहा है। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा को एवं कानि0 जुगलाल को वास्ते रिश्वत मांग गोपनीय सत्यापन हेतु कलेक्ट्री सवाई माधोपुर रवाना किया गया।

तत्पश्चात समय 02.15 पी.एम. पर कानि0 जुगलाल व परिवादी सुरेश चन्द शर्मा उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा वापिस आये व परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं व जुगलाल कानि. चौकी से रवाना होकर कलेक्ट्री सवाई माधोपुर पहुंचे जहां जुगलाल कानि. ने एकान्त में मुझे वाईस रिकार्डर चालू करके दे दिया किन्तु पवन शर्मा बाबू मुझे कलेक्ट्री परिसर में नही मिला, इस पर मैने जुगलाल कानि. को वाईस रिकार्डर वापिस दे दिया एवं उसने वाईस रिकार्डर बन्द कर दिया। मैंने पवन शर्मा बाबू से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मैं अभी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय मानटाउन सवाई माधोपुर आया हूँ। आप मुझसे यहीं आकर मिल लो। इस पर मैं व जुगलाल कानि. कलेक्ट्री सवाई माधोपुर से रवाना होकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय मानटाउन सवाई माधोपुर पहुंचा, जहां जुगलाल कानि. ने मुझे एकान्त में वाईस रिकार्डर चालू करके दे दिया और मैं वहा से रवाना होकर पवन शर्मा बाबू के पास पहुंचा तो पवन शर्मा बाबू ने मुझे मेरी जीपीएफ और एसआई की डायरी देते हुये कहा कि ये देखो तुम्हारा काम पूरा हो गया है। इस पर पवन शर्मा बाबू ने मेरे 500/– रूपये लेते हुये, एक हजार रूपये की और मांग की है। पवन शर्मा बाबू ने मेरे से कहा कि मैं जब भी सवाई माधोपुर आउंगा आपसे सम्पर्क कर लूंगा या फिर मेरे मिलने वाले को एक हजार रूपये दे देना, इस पर मैने कहा कि आप आओ जब मुझे बुला लेना मैं आ जाउंगा। मैं वहां से रवाना होकर जुगलाल जी के पास आ गया और डिजिटल वाईस रिकार्डर उनको सिपुर्द कर दिया तथा उन्होने वाईस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया। हम दोनो वहां से रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जुगलाल कानि. से पूछने पर परिवादी के कथनो की ताईद करते हुये डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर परिवादी सुरेश चन्द शर्मा एवं आरोपी पवन शर्मा बाबू के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को कार्यालय कम्प्युटर से टेबल स्पीकर को अटेच कर सूना गया तो रिकार्डिंग में आरोपी द्वारा वक्त सत्यापन परिवादी से पांच रूपये रिश्वत के प्राप्त करना एवं एक हजार रूपये और रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया है। वाईस रिकार्डर को जरिये फर्द वापसी कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया इसके बाद समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी सुरेश चन्द शर्मा को हिदायत दी गई की जब भी आरोपी आपसे सम्पर्क करे तो रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करके ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आवे। बाद हिदायत परिवादी को रूखसत किया गया।

दिनांक 15.06.2022 समय 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा उपस्थित कार्यालय आया, जिसे कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय 12.15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी में दिनांक 25.03.2022 को रखा वाईस रिकार्डर को परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा एवं गवाहान श्री जुगलाल कानि. व राजवीर सिंह कानि. के समक्ष निकाला जाकर परिवादी एवं आरोपी श्री पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के मध्य दिनांक 25.03.2022 को हुई रिश्वती मांग की सत्यापन वार्ता जो वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को कार्यालय कम्प्युटर में सेव करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को स्पीकर के माध्यम से सुना जाकर परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा से पूछ–पूछ कर उपरोक्त गवाहान की मौजूदगी में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा कार्यालय कम्प्युटर में सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की श्री राजवीर सिंह कानि. से एक पेन ड्राईव Sandisk 16GB न्यायालय हेतु व दो डी.वी.डी. क्रमशः मुल्जिम व आई.ओ. प्रति तैयार करवाकर मार्क–A अंकित कर पेन ड्राईव Sandisk 16GB व एक डीवीडी मुलजिम प्रति को सफेद कपड़े की थैली में अलग अलग सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वास्ते वजह सबूत

जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तथा एक डीवीडी को कपडे की थेली मे रख सिलकर अनुसंधान अधिकारी हेतु पत्रावली पर रखा गया। इसके बाद समय 02:00 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को पेश किया और बताया कि मैनें आपके कार्यालय में दिनांक 25.03.2022 को पवन शर्मा को रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसी दिन श्रीमान द्वारा रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाया था, जिसमें आरोपी ने मुझसे 5,00/– रूपये ले लिये थे व एक हजार रूपये की मांग की थी, उसके बाद में बोर्ड व लोकल परीक्षा होने व पेन्शन के कार्य में व्यस्त रहने के कारण व बोर्ड व लोकल परीक्षाए दिनांक 17.05.2022 तक थी, इसके बाद में मेरी पेन्शन के कार्य में व्यस्त हो गया था क्योकिं मेरा रिटायरमेन्ट 30 जून 2022 को है। इस कारण में आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो पाया और अब पवन शर्मा यूडीसी सीबीओ कार्यालय बामनवास अब मेरे से रूपयों की मांग नही कर रहा है तथा मेरा जीपीएफ व एसआई का काम भी पूरा हो चुका है और अब पवन शर्मा मेरे से रूपये भी नही मांग रहा है और ना ही लेगा। मैंने उससे कई बार इस बात का तकाजा भी किया लेकिन उसने रूपये लेने से मना कर दिया। श्रीमानजी से निवेदन है मेरी दी गयी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नही चाहता हूँ। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेश चन्द के लिखित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया व परिवादी सुरेश चन्द से मजीद दरियाफ्त की गई, जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी परिवादी से पैसे नहीं लेगा।

तत्पश्चात समय 02:30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में काम में ली गई पीतल की सील नं. 34 को परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा व गवाहान सर्वश्री राजवीर कानि. नं. 149 व जुगलाल कानि. नं. 459 की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया, जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिव की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवा कर फर्द शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02:40 पी.एम. पर परिवादी सुरेश चन्द शर्मा को मुनासिफ हिदायत कर ब्यूरो चौकी से रूखसत किया गया।

मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये पत्रांक 545–46 दिनांक 20.06.2022 को ट्रेप कार्यवाही विरूद्व पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर के एफआईआर दर्ज करवाने बाबत आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु कार्यालय–मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं0स0 बामनवास सवाई माधोपुर को पत्र जारी किया गया, जिस पर उक्त कार्यालय जरिये पत्र क्रमांक 179 दिनांक 05.07.2022 द्वारा अवगत कराया कि पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक नाम का कोई व्यक्ति पदस्थापित नही है तथा विगत दो वर्षो से वर्तमान तक कार्यालय में उक्त नाम का व्यक्ति कार्यरत नही है। तत्पश्चात कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, सवाई माधोपुर से जानकारी की गई तो उक्त कार्यालय पवन कुमार शर्मा विशेष शिक्षक/संदर्भ व्यक्ति सीडब्लूएसएन संदर्भ बामनवास में पदस्थापित होना बताया।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त पवन कुमार शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम सीतापुर पोस्ट पिपलाई, तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर हाल विशेष शिक्षक/संदर्भ व्यक्ति सीडब्लूएसएन संदर्भ बामनवास, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय बामनवास खुर्द, जिला सवाई माधोपुर द्वारा सेवाऐं प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी सीडेक्स,133 देवी नगर नन्नू मार्ग न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर के माध्यम से दी जाकर द्वारा मानदेय दिया जाता है। श्री पवन कुमार शर्मा, प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी कार्मिक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरिके से परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल शर्मा, उम्र 60 वर्ष, जाति ब्राहम्मण, निवासी कुण्डेरा हाल वरिष्ठ अध्यापक रा0वा0उ0मा.विद्यालय कुण्डेरा, जिला सवाई माधोपुर से जीपीएफ, एस.आई. पास बुक मैं हस्ताक्षर व मोहर लगवाने की एवज में 1500/– रूपये की मांग कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से 500/– रूपये रिश्वत के प्राप्त कर 1000/– रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया तथा दिनांक 15.06.2022 को परिवादी श्री सुरेश चन्द शर्मा के लिखित प्रार्थना पत्र के अनुसार रिश्वत मांग सत्यापन के बाद परिवादी बोर्ड व लोकल परीक्षा होने दिनांक 17.05.2022 तक होने तथा स्वंय रिटायरमेन्ट 30 जून 2022 को होने के कारण पेन्शन कार्य में व्यस्त होने के कारण ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर में उपस्थित नही हो पाया और अब आरोपी पवन कुमार शर्मा परिवादी से रूपयों की मांग नही कर रहा है तथा परिवादी का जीपीएफ व एसआई का काम भी पूरा हो चुका है और अब आरोपी पवन कुमार शर्मा परिवादी से रिश्वत की मांग नही कर

रहा है और ना ही रिश्वत राशि लेगा। परिवादी द्वारा आरोपी को कई बार रिश्वत राशि देने के सम्बन्ध में तकाजा भी किया लेकिन आरोपी ने मना कर दिया। अभियुक्त पवन कुमार शर्मा विशेष शिक्षक/संदर्भ व्यक्ति सीडब्लूएसएन सीडेक्स,133 देवी नगर नन्नू मार्ग न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय बामनवास खुर्द, जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेंवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अति0 पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सवाई माधोपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा, प्लेसमेंट सेवा (संदर्भ व्यक्ति, सीडब्लूएसएन), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बामनवास खुर्द, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 333/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2917-21 दिनांक 29.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राउमावि, बामनवास खुर्द/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बामनवास/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा सवाई माधोपुर/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, जिला सवाई माधोपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर।

29.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।